कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांक :– 3099–3103 दिनांकः– 23/07/25

कार्यालय आदेश

मैं **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्यालय पर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवंर्ग के न्यायालयों के प्रकरणों में अभिरक्षारत बंदियों की जिला कारागृह, अलवर से न्यायिक अभिरक्षा अवधि जरिये विडियो कांफ्रेसिंग बढाये जाने हेतु निम्न पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी (राजकीय अवकाश छोडकर) लगायी जाती है :–

माह अगस्त, 2025

क0 सं0	न्यायालय का नाम	दिनांक /माह
01.	अति.सि.न्या. एवं न्या.मजि. संख्या–5, अलवर	01.08.2025 से 10.08.2025
02	स्पे. (एन.आई.एक्ट कैसेज) न्यायालय संख्या–1, अलवर	11.08.2025 से 20.08.2025
03	स्पे. (एन.आई.एक्ट कैसेज) न्यायालय संख्या–2, अलवर	21.08.2025 से 31.08.2025

नोटः–

1– उक्त ड्यूटी दिनांक को अधिकारीगण के अवकाश पर होने के दौरान उनके लिंक अधिकारी द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त कार्य सांय 4.30 से 5.00 पी0एम0 के मध्य एवं मोर्निंग समय में 12.30 पी0एम0 से 1.00 पी0एम0 के मध्य विडियो कॉफेन्स हॉल में सम्पादित किया जावेगा।

2– अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण स्वयं अपने स्तर पर रिमाण्ड पेपर्स निर्धारित समय से पूर्व ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट (अधिकारी) के समक्ष वी0सी0 रूम में प्रेषित करने की सुनिश्चितता करें।

अर्चना गुप्ता।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर

कमांकः– 3099–3103 दिनांकः– 23/7/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के समस्त पीठासीन अधिकारीगण।
3. अधीक्षक, जिला कारागृह अलवर।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अर्चना गुप्ता।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर

shot on moto e22s
07/23/2025, 12:33